उ०प्र० आवास विकास परिषद की दिनांक २६.६.२००० को सम्पन्न हुई १७७वीं बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक २६.६.२००० को बैठक प्रारम्भ हुई जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे:--

१–	श्री महेश दत्त शर्मा	अध्यक्ष
२–	श्री आर०के० मित्तल	सदस्य
३–	श्री अमिताभ त्रिपाठी, अनुसचिव प्रतिनिधि सचिव, आवास,उ०प्र० शासन	सदस्य
४–	श्री एम०एन० श्रीवास्तव, मुख्य अभियन्ता प्रतिनिधि प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम	सदस्य
५–	श्री एम०पी० अनेजा, मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक,उ०प्र०	सदस्य
६–	श्री नरेन्द्र वर्मा, उप निदेशक प्रतिनिधि निदेशक, सी०बी०आर०आई.रुडकी	सदस्य
७–	श्री एस०के० वर्मा, मुख्य अभियन्ता उ०प्र० आवास एंव विकास परिषद	सदस्य

विशेष आमंत्री के रुप में

१–	श्री सुबोध शंकर, मुख्य वास्तुविद नियोजक उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद	सदस्य
२–	श्री कृष्णाकर त्रिपाठी, वित्त नियंत्रक, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद	सदस्य

V.Kumar(37)

बैठक के प्रारम्भ में निवर्तमान आवास आयुक्त श्री एन. रविशंकर के कार्यकाल में परिषद की उपलब्धियों पर चर्चा की गयी एवं सराहना करते हुए आभार व्यक्त किया गया । साथ ही वर्तमान आवास आयुक्त श्री आर.के. मित्तल के परिषद में पुनः आगमन पर उनका स्वागत किया गया । माननीय अध्यक्ष श्री महेश दत्त शर्मा जी की पुनः इस पद पर नियुक्ति का भी स्वागत किया गया ।

<u>बैठक में विचार–विमर्श के उपरांत सर्व सम्मति से निम्नवत् निर्णय लिये गये :–</u>

कमांक	विषय	निर्णय
१	२	३
१–	परिषद की १७६वीं बैठक दिनांक १६.३.२००० के कार्यवृत्त की पुष्टि ।	कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी ।
२–	परिषद की १७६ वीं बैठक दिनांक १६.३.२००० की अनुपालन आख्या ।	अवलोकित ।
३–	परिषद बैठक दिनांक २७.३.६८ के संकल्प सं०–४२/६८ के अन्तर्गत लिये गये निर्णयानुसार निजी बस स्टैण्ड की स्थापना हेतु प्रेषित टेन्टेटिव आफर के अन्तर्गत सूचित भूमि मूल्य के विरुद्व दिनांक ३१.१.२००० तक रु० १२.०० लाख प्राप्त होने पर भूमि का कब्जा देने एवं शेष राशि ८ त्रैमासिक किश्तों में प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में।	प्रस्ताव इस अभ्युक्ति के साथ अनुमादित किया गया कि निर्धारित तिथि तक भुगतान न करने पर ३.५ प्रतिशत की दर से दण्ड ब्याज शामिल करते हुए २१ % ब्याज देय होगा। यह भी निर्णय लिया गया कि इस प्रकरण की अद्यतन स्थिति की जानकारी भी कर ली जाये ।
४–	परिषद के अवलोकनार्थ टिप्पणियों की सूची ।	अवलोकित किया गया।
५–	योजना संख्या–७ मेरठ में समाविष्ट खसरा संख्या ३६४७ से ३६५१ तक की भूमि रकवा १०–१६–००बीघा भूमि के सम्बन्ध में ।	सम्यक विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि प्रश्नगत भूमि का भू–प्रयोग आवासीय रहेगा आसुधार शुल्क पर ब्याज की दर प्रथम वर्ष के लिये शून्य तथा आगामी वर्षो के लिये १२% प्रतिवर्ष ब्याज देय होगा यही नीति अन्य प्रकरणों में अपनाने का निर्णय लिया गया । यह भी निर्णय लिया गया कि आवंटित की जाने वाली भूमि पर विकास कार्य परिषद द्वारा ही कराया जाये। यदि यह सम्भव न हो तो इस बात का प्रयास किया जाय कि इस भूमि पर जो भी विकास कार्य हो, वह परिषद द्वारा

V.Kumar(37)

		निर्धारित विशिष्टियों के अनुरुप डो एवं परिषद की योजना से उनका सामन्जस्य रखा जाए जिससे एकरुकता बनी रहे ।
६–	परिषद की योजनाओं में व्यक्तिगत/संस्थाओं/ सहकारी आवास समितियों की भूमि के समायोजन के सम्बन्ध में मार्गदर्शक निर्देश ।	निर्णय लिया गया कि आवास आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति गठित कर दी जाय जो इस प्रस्ताव की समीक्षा करके इसे अंतिम रुप देगी । इस समिति की संस्तुति का अनुमोदन मा० अध्यक्ष महोदय से प्राप्त कर लिया जाय तथा परिषद की अगली बैठक में अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जाए । इस समिति के अन्य सदस्य निम्नवत् होगें:– १–मुख्य अभियन्ता,उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद । २– मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक उत्तर प्रदेश । संयुक्त आवास आयुक्त (भूमि अर्जन) समिति के संयोजक होगें।
७–	इन्दिरा नगर विस्तार योजना लखनऊ के अन्तर्गत खसरा सं०–३०, ग्राम इस्माइल गंज की ५४८.७६ वर्गफुट भूमि के आवंटन सम्बन्ध में ।	निर्णय लिया गया कि मुख्य वास्तुविद नियोजक द्वारा स्थल निरीक्षण के उपरांत उनकी आख्या संस्तुति के आधार पर कार्यवाही की जाए ।
८–	भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या–१, कानपुर में समाविष्ट ग्राम लखनपुर के खसरा संख्या–१७६ में श्री शिव गनेश मिश्र द्वारा धारा –२८की विज्ञप्ति के पश्चात् अवैध रुप से क्रय की गयी दो बिस्वा भूमि के सम्बन्ध में ।	अनुमोदित ।
९–	परिषद की माल एवेन्यू योजना, लखनऊ में सर्वे संख्या–५११ की भूमि के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में ।	प्रकरण के पुनः परीक्षण की आवश्यकता को देखते हुए प्रस्ताव वापस लिया गया।
१०–	दिल्ली बुलन्दशहर बाईपास मार्ग भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, गाजियाबाद के विरुद्व दायर रिट याचिका संख्या ३६५३/९६ श्री पूरनसिंह सजवाण बनाम उ०प्र० सरकार में	अनुमोदित ।

V.Kumar(37)

	माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक १०.३.२००० के अनुपालनके सम्बन्ध में।	
११–	उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद की योजनाओं में विभिन्न भूमि अध्याप्ति इकाइयों के कार्यों की समीक्षा एवं अनुश्रवण हेतु एक वरिष्ठ अधिकारी की तैनाती के सम्बन्ध में ।	परिषद की संस्तुति सहित प्रस्ताव शासन के विचारार्थ प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया ।
१२–	सिकन्दरा योजना, आगरा हेतु जल संस्थान से पेयजल प्राप्त करने के लिये जल विकास शुल्क तथा जलापूर्ति व्यवस्था हस्तगत करने से सम्बन्धित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में ।	मद संख्या–१ के लिये विकास शुल्क के रुप में देय धनराशि रु० १५५.४७ लाख तथा मद संख्या–२ के जल संस्थान में योजना के बल्क पेय के लिये आपूर्ति हेतु इनफ्लो वाटर मीटर लगाने में व्यय होने वाली धनराशि रु० ५.०० लाख के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। मद संख्या ३ व ४ के सम्बन्ध में पुनः परीक्षण के उपरांत प्रस्ताव प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया ।
१३–	माधवपुरम योजना, मेरठ में ३३/११ के०वी० सब–स्टेशन में तत्सम्बन्धी ३३ के०वी० लाइन के निर्माण कार्यो की पुनरीक्षित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में ।	अनुमोदित ।
१४–	वसुन्धरा योजना, गाजियाबाद के सेक्टर–४ में निर्माणाधीन एफ–४५ प्रकार के २०६६ नग चार मंजिले भवनों में भूमिगत केबिल के माध्यम से विद्युत कनेक्शन के कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति ।	अनुमोदित ।
१५–	वसुन्धरा योजना, गाजियाबाद के वाह्य विद्युतीकरण कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में ।	अनुमोदित ।
१६–	वृन्दावन योजना संख्या–२, भाग–१ लखनऊ के वाटर सप्लाई हेड वर्क्स कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।	बृन्दावन योजना के समग्र विकास के दृष्टिगत नियोजन एवं विकास कार्यो के डिजाइन के लिये हडको कन्सलटैन्सी सेवा ली जा रही है। अतः निर्णय लिया गया कि इस प्रस्ताव के अन्तर्गत विकास कार्यो का

V.Kumar(37)

		सम्पादन हडको के सम्बन्धित अधिकारियों से विचार–विमर्श कर उनके द्वारा निर्दिष्ट सीमा तक किया जाय ।
१७–	परिषद की कमला नगर योजना, आगरा में दुर्बल आय वर्ग भवनों के साथ लगी अतिरिक्त भूमि का मूल्य लिये जाने के सम्बन्ध में ।	अनुमोदित ।
१८–	कुलानन्द फाउन्डेशन चेरीटेबल सोसायटी को योग प्रशिक्षण केन्द्र हेतु इन्दिरा नगर लखनऊ के सेक्टर'–२५ में ५०० वर्ग मीटर भूमि आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में ।	अनुमोदित ।
१९–	परिषद की योजनाओं में सामुदायिक केन्द्र/बारात घर भूखण्ड को प्राइवेट सेक्टर को भी आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में ।	सम्यक विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि केवल सामुदायिक केन्द्र हेतु उक्त भूखण्ड नीलामी के बजाय सामान्य आवंटन प्रकिया के अन्तर्गत निजी संस्थाओं को आवंटित किये जाने पर विचार किया जा सकता है तथा इस हेतु भूमि की दर प्रचलित आवासीय दर की डेढ़ गुना होगी । इस बारे में अग्रिम निर्णय आवास आयुक्त एवं अध्यक्ष द्वारा लिया जाय ।
२०–	परिषद की नन्दनपुरा झांसी स्थित अल्प आय वर्ग भवन संख्या ए–६७ श्री सतीश जतारिया माननीय विधायक बबीना झांसी को आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में ।	निर्णय लिया गया कि वर्तमान मूल्य का १० प्रतिशत अतिरिक्त जोड़ते हुए उसे आरक्षित मूल्य मानकर आवंटित किया जाये ।
२१–	जीवनधारा रक्त फाउन्डेशन संस्था को परिषद की योजना संख्या–१० मेरठ में भूमि आवंटन के सम्बन्ध में ।	सामाजिक संस्था को आवंटन की जाने वाली भूमि के अनुसार आवंटन का निर्णय लिया गया ।
२२–	शास्त्रीनगर मेरठ की योजना संख्या–३ स्थित धार्मिक भूखण्डों का आवंटन ।	अनुमोदित ।
२३–	मुख्य वास्तुविद नियोजक पद वेतनमान रु० ५१००–६१५० के आधार पर पुनरीक्षित वेतनमान रु० १६४००–२०००० में वेतन निर्धारण के सम्बन्ध में ।	परिषद के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया कि परिषद में पूर्व में मात्र वरिष्ठ वास्तुविद नियोजक का ही पद स्वीकृत था जिसे वर्ष १९८० में मुख्य वास्तुविद नियोजक में परिवर्तित किया गया । वर्ष

V.Kumar(37)

		१६८६ में पुनः वरिष्ठ वास्तुविद नियोजक का एक पद सृजित हुआ । सम्प्रति मुख्य वास्तुविद नियोजक व वरिष्ठ वास्तुविद नियोजक दोनों पद का वेतनमान एक है जबकि मुख्य वास्तुविद नियोजक नियंत्रक अधिकारी है। स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार शासन द्वारा उक्त दोनों पद स्वीकृत हैं। उक्त विसंगति के दृष्टिगत शासन द्वारा मुख्य वास्तुविद नियोजक के वर्तमान पद धारक को वेतनमान रु० ३७००--५००० से दिनांक २७.६.८६ को रु० ५१००--६१५० वैयक्तिक रुप से अनुमोदित किया गया था। इस प्रकार पंचम वेतन आयोग की संस्तुति के तहत जिन वेतनमानों के पुनरीक्षण पर शासन द्वारा रोक लगाई गयी है, उनसे यह प्रकरण भिन्न है । चूँकि प्रकरण पूर्व शासन को संदर्भित किया जा चुका है। अतः शासन की स्वीकृति की प्रत्याशा में वेतनमान रु० ५१००--६१५० का पुनरीक्षण किये जाने पर निर्णय लिया गया ।
२४--	उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद सहायक अभियन्ता सेवा विनियमावली--१६७३ (यथा संशोधित) में संशोधन के सम्बन्ध में ।	प्रस्ताव वापस लिया गया ।
२५--	परिषद की इन्दिरा नगर येाजना में स्थित म०आ०व० स्टाफ भवन संख्या सी०--५०१/ई० (प्रथम तल) को स्टाफ क्वार्टर सेअनारक्षित कर श्रीमती रजनी गुप्ता निवासी सी०--५०५/ए इन्दिरा नगर लखनऊ के पक्ष में नगद भुगतान पद्वति पर आवंटित करने के सम्बन्ध में ।	सामान्य मूल्यांकन पर अनुमोदित किया गया ।
२६--	सहायक आवास आयुक्त (वेतनमान रु० ८०००--१३५००) के दो पदों को उप आवास आयुक्त (वेतनमान रु० १००००--१५२००) में उच्चीकृत किये जाने के सम्बन्ध में ।	सम्यक विचारोपरांत प्रस्ताव अनुमोदित करते हुए शासन से स्वीकृति प्राप्त किये जाने का निर्णय लिया गया ।
२७--	आवास परिषद में संविलियन मांगने वाले केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार तथा केन्द्र/राज्य सरकारों के अधीन स्वायत्तशासी /	सम्यक विचारोंपरांत प्रस्ताव अनुमोदित करते हुए शासन से स्वीकृति प्राप्त करने हेतु अनुरोध किये जाने का निर्णय लिया

	निगमों / उपक्रमों के कर्मचारियों की सेवा अवधि को परिषद सेवा अवधि में जोड़ा जाना तथा ऐसी अवधि हेतु समस्त सेवा नैवृत्तिक लाभ दिया जाना ।	गया ।
२८–	श्री एस.पी. अग्रवाल, परामर्शदाता (विधिक) की नियुक्ति की निरन्तरता के सम्बन्ध में ।	अनुमोदित ।
२९–	श्री डी०एन० त्रिपाठी, सहायक श्रेणी–द्वितीय की अपील के सम्बन्ध में ।	माननीय अध्यक्ष महोदय को प्रस्ताव पर निर्णय लेने हेतु अधिकृत किया गया ।
३०–	श्री एम०एल० खत्री, प्रभारी अधिशासी अभियन्ता द्वारा दण्डो के विरुद्व प्रस्तुत अपील दिनांक २६.११.९९ के सम्बन्ध में।	माननीय अध्यक्ष महोदय को प्रस्ताव पर निर्णय लेने हेतु अधिकृत किया गया ।
३१–	परिषद की वर्ष १९९७–९८ की बैलेन्सशीट हेतु व्याख्यात्मक टिप्पणी ।	अनुमोदित ।
३२–	परिषद कर्मियों को राष्ट्रीयकृत बैंकों से कम्प्यूटर कय हेतु ऋण लेने के लिये बैंक की ब्याज दर तथा सरकारी सेवकों को अनुमन्य ब्याज दरों के अन्तर की प्रतिपूर्ति हेतु सब्सिडी दिये जाने के सम्बन्ध में ।	अनुमोदित ।
३३–	वर्ष १९९९–२००० में हडको द्वारा १३ योजनाओं के संचालन हेतु स्वीकृत ऋण रु० ४२९९.५५ लाख की सामान्य शर्तो के सम्बन्ध में ।	अनुमोदित ।
३४–	अमरोहा योजना संख्या–१ में समाविष्ट खसरा संख्या–३६७८ व ३६७९ की रिक्त भूमि वर्तमान दर पर आवंटित एवं कब्रिस्तान की भूमि के सम्बन्ध में ।	निर्णय लिया गया कि कब्रिस्तान की भूमि का स्वरुप परिवर्तित नहीं होगा तथा इसके अतिरिक्त भूमि का प्रयोग आवासीय रहेगा । शेष प्रस्तावानुसार अनुमोदित ।
३५–	कुर्सी रोड (विकास नगर) योजना लखनऊ में समाविष्ट ग्राम शेखापुर के खसरा संख्या–४१ की भूमि का विकास शुल्क जमा कराने के सम्बन्ध में ।	अनुमोदित ।

V.Kumar(37)

३६-	यू०पी०आई०एल० कैम्पस आवासीय योजना लखनऊ के धारा-२८ का प्रस्ताव ।	योजना को परिषद अधिनियम-१९६५ की धारा-२८ के अन्तर्गत प्रकाशित करने तथा अग्रिम कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया ।
३७-	योजना संख्या-१० मेरठ के सेक्टर-१ में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु भूमि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में ।	भूमि मूल्य के ५० प्रतिशत पर आवंटन का निर्णय लिया गया ।
३८-	परिषद की बेतियाहाता पूर्वी योजना गोरखपुर में समाविष्ट खसरा संख्या ३२५ व ३३० के आंशिक भाग को अर्जन मुक्त करने के सम्बन्ध में ।	मुख्य वास्तुविद नियोजक द्वारा स्थल का निरीक्षण करके आख्या प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया ।
३९-	इन्दिरा नगर विस्तार योजना लखनऊ में समाविष्ट ग्राम इस्माइलगंज के खसरा संख्या-१०१ व १०२ की भूमि के सम्बन्ध में ।	सम्यक विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि विवादित २६ बिस्वा भूमि में से समझौता मात्र १६ बिस्वा भूमि के सम्बन्ध में ही मान्य होगा । भू-स्वामी द्वारा परिषद की जिस १० बिस्वा भूमि पर कब्जा कर लिया गया है,उसे परिषद को वापस करना होगा । १६ बिस्वा भूमि में से ३ बिस्वा भूमि जिसका कब्जा परिषद को प्राप्त नहीं हुआ है वर्तमान दर पर आसुधार शुल्क लेते हुए तथा शेष १३ बिस्वा भूमि में से ६० प्रतिशत भूमि वर्तमान दर पर विकास शुल्क लेते हुए व शेष ४० प्रतिशत भूमि वर्तमान आवासीय दर पर समायोजित/ आवंटित करने का निर्णय लिया गया । ४० प्रतिशत भूमि का कोई प्रतिकर देय नहीं होगा भूमि का प्रयोग आवासीय रहेगा। भविष्य में भू-उपयोग व्यवसायिक के रुप में परिवर्तित करने के अनुरोध पर तत्समय प्रचलित नियमों एवं शर्तो के अधीन विचार किया जायेगा । संलग्न नक्शें के अनुसार पीछे की ओर सड़क के प्रयोग में आने वाली भूमि भी परिषद के पक्ष में निःशुल्क छोड़ी जायेगी । शेष प्रस्ताव अनुसार अनुमोदित ।

V.Kumar(37)

४०–	वृन्दावन योजना संख्या–२ भाग–१ लखनऊ में ट्रंक सीवर कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में ।	वृन्दावन योजना के समग्र विकास के दृष्टिगत नियोजन एवं विकास कार्यो के डिजाइन के लिये हडको कन्सलटेन्सी सेवा ली जा रही है। अतः निर्णय लिया गया कि इस प्रस्ताव के अन्तर्गत विकास कार्यो का सम्पादन हडको के सम्बन्धित अधिकारियों से विचार–विमर्श कर उनके द्वारा निर्दिष्ट सीमा तक किया जाये ।
४१–	इन्दिरा नगर योजना संख्या–१ देहरादून नगर निगम को हस्तान्तरित किये जाने हेतु मरम्मत कार्यो की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में ।	सम्यक विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया कि नगर निगम के साथ इस आशय का एक अनुबन्ध कर लिया जाय कि परिषद द्वारा जैसे–२ जन सेवाओं का सुदृणीकरण कर लिया जाय, नगर निगम उसी क्रम में चरणवार योजना को अधि–गृहीत (टेकओवर) कर लें। यह भी निर्णय लिया गया कि जन सुविधाओं के सुदृढ़ी–करण का कार्य ठीक प्रकार से हो रहा है, उसके पर्यवेक्षण हेतु एक टीम बना ली जाय जिसमें नगर निगम के अधिकारी भी भी हों ताकि योजना के हस्तान्तरण में किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो। प्रस्ताव उपरोक्त निर्देशों के साथ अनु–मोदित किया गया ।
४२–	वृन्दावन योजना संख्या–२ भाग–१ के ट्रंक सड़कों के कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में ।	वृन्दावन योजना के समग्र विकास के दृष्टिगत नियोजन एवं विकास कार्यो के डिजाइन के लिये हडको कन्सलटेन्सी सेवा ली जा रही है। अतः निर्णय लिया गया कि इस प्रस्ताव के अन्तर्गत विकास कार्यो का सम्पादन हडको के सम्बन्धित अधिकारियों से विचार–विमर्श कर उनके द्वारा निर्दिष्ट सीमा तक किया जाय।
४३–	वृन्दावन योजना संख्या–२ भाग–१ के सामान्य मिट्टी के कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में ।	वृन्दावन योजना के समग्र विकास के दृष्टिगत नियोजन एवं विकास कार्यो के डिजाइन के लिये हडको कन्सलटेन्सी सेवा ली जा रही है। अतः निर्णय लिया गया कि इस प्रस्ताव के अन्तर्गत विकास कार्यो का सम्पादन हडको के सम्बन्धित अधिकारियों से विचार–विमर्श कर उनके

V.Kumar(37)

		द्वारा निर्दिष्ट सीमा तक किया जाय।
४४–	परिषद की कालोनियों में आवंटियों से लिये जा रहे जल शुल्क/ जल मूल्य की दरों को पुनरीक्षित किये जाने के सम्बन्ध में ।	अनुमोदित ।
४५–	परिषद की इन्दिरा नगर योजना लखनऊ के सेक्टर–१८में कारगिल युद्व में शहीद हुए सैनिकों के आश्रितों को भूखण्ड आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में ।	अनुमोदित ।
४६–	परिषद की इन्दिरा नगर योजना लखनऊ के सेक्टर–६ में व्यवसायिक भूखण्ड संख्या–६/ सी०पी०–२०२का भू–उपयोग परिवर्तन कर दयानन्द शिशु मंदिर के पक्ष में आवंटन के सम्बन्ध में ।	अनुमोदित ।
४७–	सिटी मान्टेसरी स्कूल को परिषद की राजाजीपुरम ाजना लखनऊ में दो भूखण्डों के रुप में आवंटित २०२६४ वर्गमीटर में निचली भूमि के मिट्टी भरने सम्बन्धी व्यय छूट के सम्बन्ध में।	अनुमोदित ।
४८–	परिषद की इन्दिरा नगर विस्तार योजना लखनऊ में स्थित भूखण्ड संख्या ८/सी०पी०–१०३ के विरुद्व राष्ट्रीय आवास बैंक का जमा धनराशि रु० १,२१,२६,१७४.०० के वापसी के सम्बन्ध में ।	अनुमोदित ।
४९–	दैनिक वेतनभोगी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर १० वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण किये जाने के उपरांत चतुर्थ श्रेणी पद पर नियमित किये जाने के सम्बन्ध में ।	शासन से शीघ्र निर्णय लेने हेतु अनुरोध किये जाने का निर्णय लिया गया ।
५०–	अधिकारियों/कर्मचारियों के असामयिक निधन पर अनुदान दिये जाने के सम्बन्ध में ।	अनुमोदित ।
५१–	उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद की लिपिकीय विनियम सेवा–१९८० के प्रस्तर–५ (क) (७) में संशोधन ।	शासन के विचारार्थ प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया ।

V.Kumar(37)

५२–	सहायक सांख्यिकी अधिकारी की सेवा विनियम बनाये जाने के सम्बन्ध में ।	अवलोकित ।
५३–	चिकित्सा प्रतिपूर्ति स्वीकृत करने हेतु कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करने के सम्बन्ध में ।	अनुमोदित ।
५४–	वाहन भत्ते की दरों को पुनरीक्षित करने के सम्बन्ध में ।	अनुमोदित ।
५५–	परिषद के स्वीकृत मदों पर शासन द्वारा उठाई गई आपत्ति के सम्बन्ध में ।	सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो के प्रतिनिधि उपस्थित न होने के कारण चर्चा नहीं हो सकी ।
५६–	चिकित्सा प्रतिपूर्ति स्वीकृत करने हेतु शासन से अनुमति/स्वीकृति प्राप्त करने के सम्बन्ध में।	अनुमोदित ।
५७–	श्रीमती ऊषा पन्त पत्नी स्वर्गीय श्री बी०बी०पन्त मानचित्रक को मृतक आश्रित के रुप में सेवायोजित करने हेतु २ वर्ष का समय प्रदान करने एवं उन्हें अनुदान स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में ।	अनुमोदित ।
५८–	परिषद में मुख्य अभियन्ता के रिक्त होने वाले पद पर प्रोन्नति की कार्यवाही के सम्बन्ध में ।	निर्णय लिया गया कि शासन से चयन समिति गठित करने का अनुरोध किया जाय ।
५९–	परिषद के महत्वपूर्ण कार्यो के अध्ययन, अनुश्रवण एवं परामर्श हेतु परामर्शदाता की नियुक्ति के सम्बन्ध में ।	अनुमोदित ।
६०–	चिकित्सा प्रतिपूर्ति स्वीकृत करने हेतु शासन से अनुमति/स्वीकृति प्राप्त करने के सम्बन्ध में।	अनुमोदित ।
६१–	शासनादेश दिनांक २८ जुलाई, १९८९ से जारी सेवा निवृत्तिक (लाभों) धनराशि की अदायगी सम्बन्धी शासकीय प्राविधानों का परिषद अधिष्ठान में अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में ।	अनुमोदित ।

V.Kumar(37)

[illegible] सहायक

[illegible] कक्ष 66,

[illegible], लखनऊ।

कृपया कार्यालय उपयोगार्थ परिषद की 177 वीं बैठक [illegible] गत निर्णय की छाया प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करें। [illegible]

[illegible] (क) [illegible]

[illegible]

[illegible] (रू-क)

[illegible]

8/11/04

[illegible] सचिव

[illegible]

1/04

[illegible]

8/11/04

६२–	परिषद की निष्प्रयोज्य वाहनों के विरुद्ध नये वाहन क्रय करने की स्वीकृति हेतु व्याख्यात्मक टिप्पणी ।	चार वाहन क्रय करने का निर्णय लिया गया । शासन को अवगत करा दिया जाये ।
६३–	यू०पी०आई०एल० कैम्पस, ऐशबाग रोड, लखनऊ में माननीय विधायकों हेतु तीन बेडरुम/दो बेडरुम फ्लैट्स तथा स्टिल्ट पार्किंग के निर्माण हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में ।	अनुमोदित ।
६४–	वसुन्धरा योजना संख्या–३ के सेक्टर–४ में वार्तालोक सहकारी आवास समिति हेतु द्वितीय चरण में प्रस्तावित ३२ नगएफ–६०, ६४ नग, एफ–७६ एवं ३२ नग एफ–६५ प्रकार के चार मंजिले भवनों के निर्माण कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में ।	अनुमोदित ।
६५–	गृह विभाग को पुलिस चौकी/थाना हेतु फैसिलिटी भूखण्ड नं० एफ०पी० ६/१, ६/२ एवं ६/३ का आवंटन ।	अनुमोदित ।
६६–	परिषद की इन्दिरा नगर योजना लखनऊ के सेक्टर–४ ए ब्लाक सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल के पास पड़ी भूमि को स्वामी अर्जुन जी महराज बन्दीमाता मनकामेश्वर नगर डालीगंज, लखनऊ एवं सचिव सिद्धेश्वर महादेव मन्दिर इन्दिरा नगर लखनऊ के पक्ष में निर्धारित दरों पर आवंटित करने के सम्बन्ध में ।	अनुमोदित ।
६७–	परिषद की भरतपुर योजना गोन्डा में फातिमा कालेज, गोन्डा को खेल के मैदान हेतु भूमि आवंटित करने के सम्बन्ध में ।	अनुमोदित ।
६८–	आसुधार शुल्क/विकास शुल्क निर्धारण के सम्बन्ध में व्याख्यात्मक टिप्पणी ।	अनुमोदित ।

पुष्टि की गयी
महेशदत्त शर्मा
अध्यक्ष